पत्र सं0–1प्रा0आ0–11 / 2016................... / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना / बक्सर / भोजपुर / वैशाली / सारण / समस्तीपुर / मुजफ्फरपुर / बेगुसराय / कटिहार / भागलपुर / मुंगेर ।

पटना–15, दिनांक–

विषयः बाढ़ राहत शिविरों में मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त सुविधाएँ देने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस वर्ष गंगा नदी में आयी बाढ़ के कारण आपका जिला प्रभावित हुआ है एवं बाढ़ राहत केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं । इन बाढ़ राहत केन्द्रों में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार देय सुविधाओं की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गयी समीक्षा के कम में यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नांकित अतिरिक्त व्यवस्थाएँ तुरंत के प्रभाव से की जाय :

(1) राहत केन्द्रों में आवासित सभी पंजीकृत वयस्क विस्थापितों को खाने के लिए स्टील की थाली, कटोरा ,लोटा एवं गिलास दिया जाएगा जिसका उपयोग वे राहत केन्द्रों में आवासन के दौरान तो करेंगे, राहत केन्द्रों से अपने घर लौटने के समय वे उन्हें लेते जाएँगे । इसी प्रकार बच्चों को भी स्टील की छोटी थाली (छिपली), कटोरा तथा गिलास उपलब्ध कराया जाएगा । जिन राहत केन्द्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं, उनमें बच्चों को दिया जाने वाला पोषाहार भी बच्चों को दी गयी छोटी थाली / कटोरे में ही दिया जाएगा।

(2) राहत केन्द्रों में आवासित सभी पंजीकृत पुरूषों को लुंगी / धोती, गंजी, गमछा तथा महिलाओं को साड़ी, साया, ब्लाउज तथा बच्चों को निकर / टी–शर्ट तथा बच्चियों को यथानुसार चड्ढी / स्कर्ट / फ्रॉक भी दिया जाएगा ।

(3) विभागीय पत्रांक 3190 / आ0प्र0 दिनांक 25–8–2016 के अनुसार सभी पंजीकृत विस्थापित परिवारों को नहाने एवं कपड़ा धोने के साबुन, सुगंधित केश तेल, कंघी एवं छोटा ऐनक देने हेतु निदेश दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सभी महिलाओं को आवश्यकतानुसार सेनेट्री नैपकिन की भी आपूर्ति करने का निदेश दिया गया है ।

(4) इसी प्रकार विभागीय पत्रांक 3187/आ0प्र0 दिनांक 25–8–2016 के द्वारा यह भी निदेश दिया गया है कि आबादी के निष्क्रमण के दौरान गर्भवती महिलाओं को निष्क्रमित किये जाने के क्रम में यदि बच्चे का जन्म नाव अथवा राहत शिविर अथवा अस्पताल में होता है तो नवजात लड़की के लिए 15000/– रू0 एवं नवजात लड़के के लिए 10000/– रू0 का भुगतान किया जाएगा ।

कृपया इस मद में आवश्यक राशि की मांग सीधे प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय से कर लिया जाए तथा इस विभाग को भी सूचित किया जाए ।

यह तुरंत के प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,
ह0–
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3201 पटना, दिनांक– 26/8/16

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव /सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी /माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/8/16
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव